न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 164/2025 अपील (GCMS 2025/167)
पंजीयन दिनांक- 09/09/2025
निर्णय दिनांक- 01/12/2025

1. श्रीमती नारायण कुंवर पुत्री गुमानसिंह राजपूत, निवासी दौलपुर, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।

-अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती रतन कुंवर पुत्री गुमानसिंह पत्नि किशनसिंह चुण्डावत, निवासी दौलपुर, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद हाल निवासी खाखरमाला, खेमाका खेड़ा, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा।
2. **श्रीमती पवन कुंवर पुत्री गुमानसिंह राजपूत मृतक के बजायः-**

1. श्री मोडसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत, निवासी दौलपुर, तहसील देवगढ़ जिला राजसमंद।
2. श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि कालूसिंह राजपूत, निवासी सरपाव, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
3. श्रीमती उल्लास कुंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि गणपतसिंह राजपूत, निवासी चौकडी, ननाणा, तहसील आमेट, जिला राजसमंद।
4. श्रीमती मीना कुंवर पुत्री नाहरसिंह पत्नि महेन्द्रसिंह राजपूत, निवासी मनोहरपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
5. ग्राम पंचायत दौलपुर, पंचायत समिति, देवगढ़, जिला राजसमंद जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत दौलपुर, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री सम्पतलाल बोहरा - अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री शेषमल गाडरी - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2

अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद के
प्ररकण संख्या 02/2023 निर्णय दिनांक 18.07.2025

<u>निर्णय</u>

दिनांक 01/12/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनिमय, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद के प्रकरण संख्या 02/2023 निर्णय दिनांक 18.07.2025 के विरूद्ध दिनांक 08.09.2025 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट्स रतन कंवर एवं पवन कंवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 747 निर्णय दिनांक 21.08.2006 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम दौलपुर, पटवार हल्का, दौलपुर, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 137 पुराना 137 में स्थित आराजी संख्या 772, 773, 774, 778, 782, 783, 784 कुल किता 7 कुल रकबा 5.6400 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में गुमानसिंह पिता भीमा राजपूत के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज होकर विरासत से गुमानसिंह को प्राप्त हुई है। गुमानसिंह के फौत होने के पश्चात् उनके नाम दर्ज उक्त भूमियों को विरासत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण भरा गया, जिसमें गुमानसिंह के सभी विधिक वारीसान अर्थता रेस्पोडेंट्स व अपीलांट तथा माता लाड कंवर का नाम अंकित किया गया व तस्दीक हेतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत, दौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परंतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुर द्वारा वर्तमान अपील की अपीलांट नारायण कंवर के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दिनांक 21.08.2006 को तस्दीक कर दिया, जबकि गुमानसिंह के विधिक उत्तराधिकारी रेस्पोडेंट्स व अपीलांट तथा माता लाड कंवर है। अतः उक्तानुसार नामांतरकरण संख्या 747 दिनांक 21.08.2006 निरस्त किया जाकर गुमानसिंह के सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जावें। उपरोक्त अपील

पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2023 निर्णय दिनांक 18.07.2025 से रेस्पोडेंट्स रतन कंवर एवं पवन कंवर की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत, दौलपुर के नामांतरकरण संख्या 747 निर्णय दिनांक 21.08.2006 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 18.07.2025 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचातय, दौलपुर के नामांतरकरण संख्या 747 निर्णय दिनांक 21.08.2006 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि मृतक गुमानसिंह पिता भीमा राजपूत के विधिक वारिसान की जांच की जाकर समस्त हितबद्ध पक्षकरान् को सुन कर बाद जांच नये सिरे से नामांतरकरण की विधिसम्मत कार्यवाही की जावें। "***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई हैं।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ओर से अधिवक्ता श्री शेषमल गाडरी उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 28.11.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में 17 वर्ष मयाद का विलम्ब होते हुए भी कथित आदेश पारित किया गया है। ग्राम पंचायत ने नामांतरकरण स्वीकृत करते समय सभी वारिसान को सूचना दी तथा वसीयत पेश की उस समय कोई भी वारिस वसीयत से नाराज

नहीं था व वसीयत के आधार पर नामांतरकरण स्वीकृत किया गया उस दिन से आज दिन तक कथित भूमि पर अपीलांट अकेली मालिक काबिज होकर खातेदार है तथा रेस्पोडेंट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी, तो उसे दावा पेश करना चाहिए था। रेस्पोडेंट्स को यह ज्ञान था कि वर्णित भूमि अकेले अपीलांट की है तथा अन्य का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि कथित वसीयतनामा पंजीकृत था जिसके फर्जी होने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कथित नामांतरकरण को निरस्त करने का आदेश पारित किया जो, उचित नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRT 2020 (2) Page 1165, RBJ 2006 Page 133, RRT 2002 (2) Page 786, RRT 2001 (2) Page 990, RRD 2004 Page 60, RBJ 2020 Page 43 & 729, RBJ 2006 Page 366, RBJ 2011 Page 559, RBJ 2010 Page 289 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया कि गुमानसिंह पिता भीमा राजपूत के तीन पुत्रियां तथा पत्नि जीवित थी। गुमानसिंह पिता भीमा राजपूत की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत, दौलपुर द्वारा बिना जांच किये वसीयत के आधार पर नामांतरकरण केवल मात्र नारायण कुंवर के नाम निर्णित कर दिया, जो उचित नही होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2023 निर्णय दिनांक 18.07.2025 से रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, दौलपुर के नामांतरकरण संख्या 747 निर्णय दिनांक 21.08.2006 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, रेलमगरा को प्रतिप्रेषित किया गया है, जो उचित होकर नियमानुसार है। विवादित नामांतरकरण को सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही होकर धारा 135 (2) अतंर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार को है, इससे भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत का उक्त नामांतरकरण नियमों के परिपेक्ष्य में उचित नहीं था। साथ ही अपीलांट को उक्त अपील

न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर गुमानसिंह पिता भीमा राजपूत के वारिसानों की जांच उपरांत निर्णय पारित करने बाबत निर्देशित किया गया है तथा नामांतरकरण की कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जानी है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रतन कंवर एवं पवन कंवर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद के यहां अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 747 निर्णय दिनांक 21.08.2006 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम दौलपुर, पटवार हल्का, दौलपुर, तहसील देवगढ़, जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 137 पुराना 137 में स्थित आराजी संख्या 772, 773, 774, 778, 782, 783, 784 कुल किता 7 कुल रकबा 5.6400 हैक्टेयर भूमि स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में गुमानसिंह पिता भीमा राजपूत के नाम पर खातेदारी अधिकार से दर्ज होकर विरासत से गुमानसिंह को प्राप्त हुई है। गुमानसिंह के फौत होने के पश्चात् उनके नाम दर्ज उक्त भूमियों को विरासत के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामांतरकरण भरा गया, जिसमें गुमानसिंह के सभी विधिक वारीसान अर्थता रेस्पोडेंट्स व अपीलांट तथा माता लाड कंवर का नाम अंकित किया गया व तस्दीक हेतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत, दौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परंतु अधीनस्थ ग्राम पंचायत दौलपुर द्वारा वर्तमान अपील की अपीलांट नारायण कंवर के पक्ष में निष्पादित वसीयत के आधार पर नामांतरकरण दिनांक 21.08.2006 को तस्दीक कर दिया, जबकि गुमानसिंह के विधिक उत्तराधिकारी रेस्पोडेंट्स व अपीलांट तथा माता लाड कंवर है। अतः उक्तानुसार नामांतरकरण

संख्या 747 दिनांक 21.08.2006 निरस्त किया जाकर गुमानसिंह के सभी विधिक उत्तराधिकारियों के नाम नामांतरकरण दर्ज किया जावें। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा अपने प्रकरण संख्या 02/2023 निर्णय दिनांक 18.07.2025 से रेस्पोडेंट्स रतन कंवर एवं पवन कंवर की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत, दौलपुर के नामांतरकरण संख्या 747 निर्णय दिनांक 21.08.2006 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, देवगढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 पेश की गई।

प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2008 की अर्थात सन् 1952 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जमाबंदी श्री गुमानसिंह पिता भोमसिंह सोलंकी के नाम होकर भूमि जागीर (जागीर चकराना) में प्राप्त होकर जमाबंदी में खुदकाश्त दर्ज है। वर्णित भूमि स्वयं श्री गुमानसिंह पिता भोमसिंह सोलंकी को जागीर (जागीर चकराना) प्राप्त हुई है, न की उसके बाप-दादाओं से प्राप्त हुई। अतः उक्तानुसार उक्त जागीर (जागीर चकराना) में प्राप्त भूमि स्वंय श्री गुमानसिंह पिता भोमसिंह सोलंकी को प्राप्त होकर स्व-अर्जित होना प्रमाणित है।

उक्तानुसार उक्त जागीर (जागीर चकराना) में प्राप्त भूमि स्वंय श्री गुमानसिंह पिता भोमसिंह सोलंकी को प्राप्त होकर स्व-अर्जित होने से उसको अपनी उक्त भूमि बाबत वसीयत/अन्य कार्यवाहियों हेतु पूर्ण अधिकार था। श्री गुमानसिंह पिता भोमसिंह सोलंकी की स्व-अर्जित भूमि होने से उसके द्वारा अपने जीवनकाल में श्रीमती नारायण कंवर पुत्री गुमानसिंह की सेवा-चाकरी से प्रसन्न होकर उसके पक्ष में दिनांक 07.08.2006 से पंजीकृत वसीयत निष्पादित की जो नियमानुसार होकर उचित प्रतीत होती है।

इसके अतिरिक्त अभिलेखों के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि गुमानसिंह पिता भोमसिंह सोलंकी को जागीर (जागीर चकराना) में प्राप्त भूमि उसके

बाप-दादाओं से प्राप्त होकर पैतृक होने संबंधी भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसका वर्णन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में किया गया है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है, जिसका समर्थन करना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़, जिला राजसमंद का निर्णय दिनांक 18.07.2025 अपास्त किया जाता है तथा नामांतरकरण संख्या 747 निर्णय दिनांक 21.08.2006 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावें।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर